न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1381–तीन/2003 – विरूद्व आदेश दिनांक 28 फरवरी, 2002 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 62/1991–92 अपील

1– कप्तान सिंह पुत्र सीताराम
2– रामेश्वर पुत्र पहलवान सिंह
3– भैरोंसिंह पुत्र पहलवान सिंह
ग्राम रावतपुरा तहसील मेहगॉव जिला भिण्ड ———आवेदकगण

विरूद्व

1– जीवाराम पुत्र विशाल सिंह
2– मनोहर पुत्र गयादीन
3– प्रेमसिंह पुत्र गयादीन
4– लज्जाराम पुत्र शिवलाल सिंह
5– बैजनाथ पुत्र शिवलाल सिंह
6– विजयसिंह पुत्र गुलझारी
7– धीर सिंह पुत्र गुलझारी
सभी ग्राम रावतपुरा तहसील मेहगॉव जिला भिण्ड ———अनावेदकगण

(आवेदकगण की ओर से श्री एस0के0अवस्थी अभिभाषक)
(अनावेदक 3,5,6,7 की ओर से श्री एस0पी0धाकड़ अभिभाषक)
(शेष अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 18 – 11 – 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग,मुरैना के प्रकरण कमांक 62/1990–91 अपील में पारित आदेश दिनांक 28–2–2002 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि आवेदकगण ने तहसीलदार मेहगॉव वृत्त गोरमी के समक्ष मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 190 सहपठित 110 के अंतर्गत आवेदन देकर मॉग रखी कि ग्राम परोसा स्थित भूमि सर्वे कमांक 1399 के वह अधिपति कृषक है किन्तु जीवाराम आदि का नाम शासकीय अभिलेख में अंकित चला आ रहा है इसलिये उनके स्थान पर आवेदकगण का नाम शासकीय अभिलेख में अंकित किया जावे। तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 8/85–86 अ–46 पंजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 30–5–88 पारित करके आवेदकगण का आवेदन निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव के समक्ष अपील कमांक 55/87–88 प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 21–10–88 से तहसीलदार का आदेश निरस्त किया तथा प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई कर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया। तहसीलदार मेहगॉव ने पुनः सुनवाई कर आदेश दिनांक 7–3–90 पारित किया गया तथा आवेदकगण का नाम वादग्रस्त भूमि पर भूमिस्वामी के रूप में दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव ने प्रकरण कमांक 55/1989–90 अपील में पारित आदेश दिनांक 31–12–1990 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चंबल संभाग,मुरैना के समक्ष अपील कमांक 62/1990–91 प्रस्तुत करने पर आदेश दिनांक 28–2–2002 से अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये। अपर आयुक्त के इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण एंव उपस्थित अनावेदकगण के अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तहसीलदार मेहगॉव ने प्रकरण कमांक 8/85–86 अ–46 में पारित आदेश दिनांक 7–3–1990 से आवेदकगण का नाम संहिता

की धारा 190 सहपठित 110 के अंतर्गत वादग्रस्त भूमि पर इन्द्राज करने के आदेश दिये हैं एंव तहसीलदार के आदेश को अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव ने आदेश दिनांक 31--12--1990 से पुष्टिकृत किया है जिन्हें अपर आयुक्त व्दारा आदेश दिनांक 28--2--2002 से निरस्त किया गया है। विचार योग्य है कि क्या संहिता की धारा 190 के अंतर्गत मौरूषी कृषक के दावे को श्रवण करने की तहसीलदार को अधिकारिता हैं ? **श्रीमती विमला वाई चौधरी विरूद्व राजस्व मण्डल तथा अन्य 2009 राजस्व निर्णय 242 म0प्र0हाई कोर्ट तथा रामचरण विरूद्व बाबूसिंह रिाकरवार तथा अन्य 2009 राजस्व निर्णय 296 के न्याय दृष्टांत हैं कि संहिता की धारा 190 के अंतर्गत वाद श्रवण करने की शक्तियॉ राजस्व न्यायालय को नहीं है एंव राजस्व न्यायालय इस धारा के अधीन भूमिस्वामी अधिकार प्रदान करने की अधिकारिता नहीं रखते हैं।** ऐसी स्थिति में तहसीलदार मेहगॉव के प्रकरण कमांक 8/85--86 अ--46 में पारित आदेश दिनांक 7--3--1990 तथा अनुविभागीय अधिकारी मेहगॉव के प्रकरण कमांक 55/1989--90 अपील में पारित आदेश दिनांक 31--12--1990 त्रृटिपूर्ण होने से अपर आयुक्त चंबल संभाग,मुरैना ने प्रकरण कमांक 62/1990--91 अपील में पारित आदेश दिनांक 28--2--2002 से निरस्त किये हैं जिसके कारण अपर आयुक्त व्दारा पारित आदेश दिनांक 28--2--2002 हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग,मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 62/1990--91 अपील में पारित आदेश दिनांक 28--2--2002 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर